

उक्त प्रतिबन्धों का अनुपालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है, कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है, तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा।

भवदीय

(वाई0एन0सिंह)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
सप्तम् मण्डल गोरखपुर।

पृष्ठांकन संख्या/मा0-3/एन0ओ0सी0/3082-88

/2017-18 दिनांक वही।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा-7 अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
3. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ0प्र0, शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड़, लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर।
6. प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य, फैनमैन स्कूल, महावीर छपरा, गोरखपुर।
7. गार्ड, फाईल।

(वाई0एन0सिंह)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
सप्तम् मण्डल गोरखपुर।

4/7/17